रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 1970/श्रावण 17, 1892
No. 286] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1970/SRAVANA 17, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August 1970

S.O. 2729.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Vanaspati Manufacturers' Association of India, Bombay, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 10th August, 1970 upto the 9th August, 1971 both days inclusive, in respect of Forward Contracts in groundnut oil.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission

[No. 12(9)/I.T./70.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1970

का० आ० 2729.—केन्द्रीय सरकार, भारत के वनस्पति विनिर्माता संगम मुम्बई द्वारा मान्यता के पुनर्वीकरण के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दिए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके, विचार कर लेने पर, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संगम को मूंगफली के तेल की अग्रिम संविदाओं की बाबत, 10 अगस्त, 1970 से लेकर 9 अगस्त, 1971 तक, जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं, एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त संगम वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा।

[सं० 12(9) आई० टी० 70.]

आर० के० तलवार,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970